क्रम संख्या–57

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0–30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 26 फरवरी, 2014 ई0

फाल्गुन 07, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 89/XXXVI(3)/2014/05(1)/2014

देहरादून, 26 फरवरी, 2014

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "**उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2014**" पर दिनांक 26 फरवरी 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 06 वर्ष, 2014 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड लोकायुक्त अधिनियम, 2014

कतिपय लोक कृत्यकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों के बारे में जांच करने के लिए उत्तराखण्ड लोकायुक्त के निकाय की स्थापना करने और उससे सम्बंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो।

भाग 1
प्रारंभिक
संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भ

संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भ

1.(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2014" है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर होगा।

(3) इस अधिनियम के प्राविधान तैयारी के प्राविधानों के निमित्त तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और अधिनियम पर अनुमति प्राप्त होने की अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से 180वें दिन प्रवृत्त हो जायेगा।

भाग 2
उत्तराखण्ड राज्य के लिये लोकायुक्त
अध्याय 1
परिभाषाएं

परिभाषाएं

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "न्यायपीठ" से लोकायुक्त की न्यायपीठ अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से लोकायुक्त का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "सक्षम" प्राधिकारी" से,—

(एक) मुख्यमंत्री के संबंध में, विधानसभा अभिप्रेत है;

(दो) मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के संबंध में, मुख्यमंत्री अभिप्रेत है;

(तीन) मंत्री से भिन्न विधान सभा के किसी सदस्य के संबंध मे विधानसभा का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(चार) राज्य सरकार के किसी अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में उसका नियुक्ति प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(पांच) विधानसभा के किसी अधिनियम के अधीन स्थापित या गठितअथवा राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कंपनी या सोसाइटी या स्वायत्त निकाय (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) के किसी अध्यक्ष या किन्हीं सदस्यों के संबंध में उस निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कंपनी या सोसाइटी या स्वायत्त निकाय के प्रशसनिक विभाग का भारसाधक मंत्री अभिप्रेत है;

(छः) विधानसभा के किसी अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित अथवा राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कंपनी या सोसाइटी या स्वायत्त निकाय (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) के किसी अधिकारी के संबंध में उस निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कंपनी या सोसाइटी या स्वायत्त निकाय का प्रधान अभिप्रेत है;

(सात) ऊपर उपखण्ड (एक) से उपखण्ड (छः) के अंतर्गत न आने वाले किसी अन्य मामले में, ऐसा विभाग या प्राधिकरण, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अभिप्रेत है;

परंतु यदि उपखण्ड (पांच) या उपखण्ड (छः) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य भी है तो, सदस्य होने की दशा में विधानसभा अध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी होगा;

(घ) "राज्य सतर्कता आयोग" से राज्य में गठित होने वाला राज्य सतर्कता आयोग अभिप्रेत है;

(ङ) "शिकायत" से ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, की गई ऐसी कोई शिकायत अभिप्रेत है, जिसमें यह अभिकथन हो कि किसी लोक सेवक ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है।

(च) "अन्वेषण" से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड (ज) के अधीन यथा परिभाषित कोई अन्वेषण अभिप्रेत है;

(छ) "न्यायिक सदस्य" से लोकायुक्त का कोई ऐसा न्यायिक सदस्य अभिप्रेत है, जो उस रूप में नियुक्त किया गया हो;

(ज) "लोकायुक्त" से धारा 3 के अधीन स्थापित निकाय अभिप्रेत है;

(झ) "सदस्य" से लोकायुक्त का कोई सदस्य अभिप्रेत है;

(ञ) "मंत्री" से राज्य सरकार का कोई मंत्री अभिप्रेत है किन्तु इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री नहीं है;

(ट) "अधिसूचना" से राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ठ) "प्रारंभिक जांच" से इस अधिनियम के अधीन की गई कोई जांच अभिप्रेत है;

(ड) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा "विहित" अभिप्रेत है;

(ढ) "लोक सेवक" से धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (ज) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ण) "विनियमों" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत है;

(त) "नियमों" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत है;

(थ) "विशेष न्यायालय" से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किसी विशेष न्यायाधीश का न्यायालय अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और इसमें परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में परिभाषित किए गए हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में क्रमशः उनके लिए दिए गए हैं।

(3) इस अधिनियम में किसी ऐसे अन्य अधिनियम या उसके उपबंध के, जो ऐसे किसी क्षेत्र में, जिसको यह अधिनियम लागू होता है, प्रवृत्त नहीं है, के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसे क्षेत्र में प्रवृत्त तत्सम्बंधी अधिनियम या उसके उपबंध के प्रति कोई निर्देश है।

अध्याय 2

लोकायुक्त की स्थापना

लोकायुक्त की स्थापना

3.(1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ "लोकायुक्त" ज्ञात नाम से एक संस्था की स्थापना की जाएगी।

(2) लोकायुक्त निम्नलिखित से संरचित होगा–

(क) एक अध्यक्ष, जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या कोई ऐसा विख्यात व्यक्ति, जो उपधारा (3) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट पात्रता को पूरा करता है; और

(ख) उतने सदस्य, जो चार से अधिक नहीं होगें जिनमें से पचास प्रतिशत न्यायिक सदस्य होंगे:

परन्तु लोकायुक्त के सदस्यों में से न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक वर्गों से संबद्ध व्यक्तियों और महिलाओं में से होंगे।

(3) कोई व्यक्ति–

(क) किसी न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होगा, यदि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है।

परन्तु यह और कि न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र होगा यदि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खण्ड 2 (क) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की अर्हता रखता हो, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय से प्राप्त नामों की सूची(पैनल) से ;

(ख) न्यायिक सदस्य से भिन्न किसी सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होगा, यदि वह निर्दोष सत्यनिष्ठा और उत्कृष्ट योग्यता और प्रतिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति है, जिसके पास भ्रष्टाचार विरोधी नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता, वित्त, जिसके अंतर्गत बीमा और बैंककारी भी है, विधि और प्रबंधन से संबंधित विषयों में विशेष ज्ञान और पच्चीस वर्ष से अन्यून की विशेषज्ञता है।

(4) अध्यक्ष या कोई सदस्य–

(एक) संसद का कोई सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान–मंडल का कोई सदस्य नहीं होगा,

(दो) नैतिक अधमता वाले किसी अपराध का दोषसिद्ध कोई व्यक्ति नहीं होगा,

(तीन) यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख को पैंतालीस वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति नहीं होगा;

(चार) किसी पंचायत या नगरपालिका का कोई सदस्य नहीं होगा;

(पांच) ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, जिसे संघ या किसी राज्य की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है, और वह विश्वास या लाभ का कोई पद (अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके पद से भिन्न) धारण नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से

सहबद्ध नहीं होगा या कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा और तद्नुसार अपना पदग्रहण करने से पूर्व, यथास्थिति अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, यदि—

(क) वह विश्वास या लाभ का कोई पद धारण करता है तो ऐसे पद से त्यागपत्र देगा; या

(ख) वह कोई कारोबार कर रहा है, तो ऐसे कारोबार के संचालन और प्रबंधन से अपना संबंध समाप्त कर देगा; या

(ग) वह कोई वृत्ति कर रहा है, तो ऐसा वृत्ति नहीं करेगा।

चयन समिति की सिफारिशों पर अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति

4.(1) अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से संचरित चयन समिति की सस्तुति प्राप्त करने के पश्चात् की जायेंगी–

(क)	मुख्यमंत्री—	अध्यक्ष
(ख)	विधानसभा का अध्यक्ष–	सदस्य
(ग)	विधानसभा में विपक्ष का नेता–	सदस्य
(घ)	उत्तराखण्ड राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश	सदस्य
(ङ)	पूर्ववर्ती खण्ड (क) से खण्ड (घ) में निर्दिष्ट अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा संस्तुत राज्यपाल द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाला एक विख्यात विधिवेत्ता	सदस्य

(2) अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि चयन समिति में कोई रिक्ति विद्यमान है।

(3) चयन समिति, लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करने के प्रायोजनो के लिए और उस रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करने हेतु न्यूनतम 3 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की, जिनके पास भ्रष्टाचार विरोधी नीति, लोक प्रशासन, सर्तकता, नीति निर्माण, वित्त जिसके अन्तर्गत बीमा और बैंककारी भी है, विधि और

प्रबंधन से सम्बधित विषयों में या किसी ऐसे अन्य विषय में, जो चयनसमिति की राय में लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करने में उपयोगी हो सकेगा, विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता प्राप्त है, खोजबीन समिति का गठन करेगी, जोकि अध्यक्ष एवं सदस्य के चयन हेतु 3 गुना नामों की संस्तुति करेगी;

परन्तु यह कि लोकायुक्त के प्रथम अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन हेतु अधिनियम के प्रभावी होने से 45 दिन के पूर्व खोजबीन समिति का गठन कर लिया जाएगा;

परन्तु यह और कि चयन समिति, खोजबीन समिति द्वारा संस्तुत किए गए व्यक्तियों से भिन्न किसी व्यक्ति पर भी विचार कर सकेगी।

(4) चयन समिति लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करने के लिए पारदर्शी रीति में स्वयं अपनी प्रकिया विनियमित करेगी।

(5) उपधारा (3) में निर्दिष्ट खोजबीन समिति की कार्यवधि उसके सदस्यों को संदेय भत्ते तथा नामों के पैनल के चयन की रीति ऐसी होगी, जैसी विहित की जाए।

अध्यक्ष या सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना

5. राज्यपाल, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य की पदावधि की समाप्ति के क्रम में न्यूनतम 3 मास पूर्व इस अधिनियम में अधिकथित प्रकिया के अनुसार नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवश्यक उपाय करेगा या कराएगा।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि

6. अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, चयन समिति की संस्तुति पर राज्यपाल द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुद्रा से अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह उस तारीख से, जिसको वह अपना पदग्रहण करता है, 5 वर्ष की अवधि तक या उसके द्वारा 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस रूप में अपना पद धारण करेगा:

परन्तु–

(क) वह राज्यपाल को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद

त्याग सकेगा, या

(ख) उसे धारा 37 में उपबन्धित रीति द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा।

अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें।

7.(एक)अध्यक्ष का वेतन, भत्ते और उसकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी, जैसा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की हैं,

(दो) अन्य सदस्यों का वेतन, भत्ते और उसकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की हैं;

परन्तु यह कि यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य, अपनी नियुक्ति के समय राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा की बाबत पेंशन (निःशक्ता पेंशन से भिन्न) प्राप्त करता है तो, यथास्थिति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में सेवा के सम्बन्ध में उसके वेतन में से—

(क) उस पेंशन की धनराशि को, और

(ख) यदि ऐसी नियुक्ति से पूर्व ऐसी सेवा की बाबत उसको शोध्य पेंशन के किसी भाग के बदले उसका संराशीकृत मूल्य प्राप्त किया है तो पेंशन के उस भाग की धनराशि को घटा दिया जाएगाः

परन्तु यह और कि अध्यक्ष या किसी सदस्य को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन में उसकी सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

अध्यक्ष और सदस्यों का पद पर न रहने के पश्चात नियोजन पर निर्बन्धन

8.(1) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, पद पर न रहने के पश्चात्,—

(एक) लोकायुक्त अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा;

(दो) किसी राजनयिक कर्तव्यभार, किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्ति और ऐसे अन्य कर्तव्यभार या नियुक्ति के लिए, जो राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा से अधिपत्र द्वारा किए जाने के लिए विधि द्वारा अपेक्षित है, पात्र नहीं होगा;

(तीन) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के किसी

अन्य नियोजन के लिए पात्र नहीं होगा,

(चार) पद त्याग करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के भीतर राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति या संसद के किसी भी सदन के सदस्य या राज्य विधान–मंडल के किसी भी सदन या नगरपालिका या पंचायत के सदस्य का कोई निर्वाचन लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होगा, यदि सदस्य और अध्यक्ष के रूप में उसकी कुल पदावधि 5 वर्ष से अधिक नहीं है।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रायोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता कि जहां सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, वहां उसकी पदावधि सदस्य और अध्यक्ष के रूप में कुल मिलाकर 5 वर्ष से अधिक की नहीं होगी।

कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना

9(1) राज्यपाल, अध्यक्ष की मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या अन्यथा उसका पद रिक्त होने की दशा में,उस रिक्ति को भरने के लिए किसी नए अध्यक्ष की नियुक्ति किए जाने तक, वरिष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) जब अध्यक्ष, छुट्टी पर अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा, अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो उपलब्ध ऐसा वरिष्ठतम सदस्य जिसे राज्यपाल अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत करें उस तारीख तक जिसको अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को पुनः ग्रहण नहीं कर लेता है, अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा।

लोकायुक्त का सचिव , अन्य अधिकारी तथा कर्मचारीवृंद

10(1) लोकायुक्त का सचिव, उच्चतर न्यायिक सेवा के प्रमुख सचिव के स्तर का होगा, जिसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा प्रेषित नामों की सूची (पैनल) से राज्य सरकार की सहमति से अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

(2) उसमें एक जांच निदेशक और एक अभियोजन निदेशक होगा जो राज्य सरकार के सचिव या समतुल्य पंक्ति से निम्न पंक्ति का नहीं होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा प्रेषित नामों के पैनल में से अध्यक्ष

द्वारा की जाएगी।

(3) लोकायुक्त के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृंद की नियुक्ति लोकायुक्त के अध्यक्ष या ऐसे सदस्य या अधिकारी द्वारा की जाएगी, जैसा अध्यक्ष निर्देश दे;

परन्तु यह कि राज्यपाल नियम द्वारा, यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसे किसी पद या किन्हीं पदों की बाबत, जो नियम में विनिर्दिष्ट किए जाएं नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात, की जाएगी;

(4) विधानसभा द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधो के अधीन रहते हुए लोकायुक्त के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृंद की सेवा की शर्तें वही होंगी, जो लोकायुक्त द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं;

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन बनाए गए विनियमों के लिए, जहां तक उनका संबंध वेतन, भत्तों, छुट्टी या पेंशनों से है, राज्यपाल का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

अध्याय 3

जांच प्रकोष्ठ

जांच प्रकोष्ठ

11.(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, लोकायुक्त, 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988' के अधीन दंडनीय ऐसे किसी अपराध की जिसके बारे में यह अभिकथन है कि वह लोक सेवक द्वारा किया गया है प्रारम्भिक जांच करने के प्रयोजन के लिए, एक जांच प्रकोष्ठ का गठन करेगा, जिसका अध्यक्ष जांच निदेशक होगा।

परंतु राज्य सरकार लोकायुक्त द्वारा जांच प्रकोष्ठ का गठन किए जाने के समय तक इस अधिनियम के अधीन प्रारम्भिक जांच करने के लिए ऐसे विभागों से उतनी संख्या में अधिकारी और कर्मचारिवृंद उपलब्ध कराएगी, जितने लोकायुक्त द्वारा अपेक्षित हो।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई प्रारम्भिक जांच करने में लोकायुक्त की सहायता करने के प्रयोजनों के लिए, जांच प्रकोष्ठ के ऐसे अधिकारियों को जो राज्य सरकार के उप सचिव की पंक्ति से नीचे के न हों, वहीं शक्तियां प्राप्त होंगी जो धारा 27 के अधीन लोकायुक्त के जांच प्रकोष्ठ को प्रदत्त की जायें।

अध्याय–4
अभियोजन प्रकोष्ठ

अभियोजन प्रकोष्ठ

12.(1) लोकायुक्त, इस अधिनियम के अधीन लोकायुक्त द्वारा किसी शिकायत के सम्बंध में, लोक सेवकों का अभियोजन करने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा एक अभियोजन प्रकोष्ठ का गठन कर सकेगा, जिसका अध्यक्ष अभियोजन निदेशक होगा;

परन्तु यह कि राज्य सरकार लोकायुक्त द्वारा अभियोजन प्रकोष्ठ का गठन किए जाने के समय तक इस अधिनियम के अधीन अभियोजन करने के लिए अपने ऐसे विभागों से उतनी संख्या में अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृंद उपलब्ध कराएगी, जितने लोकायुक्त द्वारा अपेक्षित हो।

(2) अभियोजन निदेशक लोकायुक्त द्वारा इस प्रकार निदेश दिए जाने के पश्चात् विशेष न्यायालय के समक्ष अन्वेषण रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार मामला फाइल करेगा और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के सम्बंध में लोकसेवकों के अभियोजन के सम्बन्ध में सभी आवश्यक उपाय करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन मामले को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 में निर्दिष्ट अन्वेषण के पूरा होने पर फाइल की गई रिपोर्ट समझा जाएगा।

अध्याय–5
लोकायुक्त के व्यय का राज्य की संचित निधि पर भारित होना

लोकायुक्त के व्ययों का राज्य की संचित निधि पर भारित होना

13. लोकायुक्त के प्रशासनिक व्यय जिसके अन्तर्गत लोकायुक्त के अध्यक्ष,

सदस्यों या सचिव या अन्य अधिकारियों या कर्मचारिवृंद को या उनके सम्बन्ध में संदेय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन भी है, राज्य की संचित निधि पर भारित किया जाएगा और लोकायुक्त द्वारा ली गई कोई फीस या अन्य धनराशियाँ उस निधि के भागरूप होंगी।

अध्याय–6
जांच के सम्बंध में अधिकारिता

मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधान सभा सदस्यों, राज्य सरकार के समूह क, ख, ग, घ अधिकारियों और पदाधिकारियों का लोकायुक्त की अधिकारिता के अन्तर्गत होना

14.(1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधो के अधीन रहते हुए लोकायुक्त निम्नलिखित के सम्बन्ध में किसी शिकायत में किए गए भ्रष्टाचार के किसी अभिकथन में अंतर्वलित या उससे उद्भूत होने वाले या उससे संबद्ध किसी मामले की जांच करेगा या जांच कराएगा,

अर्थात:—

(क) कोई ऐसा व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है या रहा है;

परंतु यह कि लोकायुक्त मुख्यमंत्री के विरूद्ध भ्रष्टाचार के किसी ऐसे अभिकथन में अंतर्वलित या उससे उद्भूत होने वाले या उससे संबद्ध किसी मामले की उस दशा में जांच नहीं करेगा:–

(एक)जब तक लोकायुक्त के अध्यक्ष और सभी सदस्यों से मिलकर बनी उसकी पूर्ण न्यायापीठ जांच आरम्भ करने के बारे में विचार नहीं करती है और उसके न्यूनतम चार सदस्य ऐसी जांच का अनुमोदन नहीं करते है,

परंतु यह और कि ऐसी कोई जांच बंद कमरे में कराई जाएगी और यदि लोकायुक्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि शिकायत को खारिज कर दिया जाए तो जांच के अभिलेख प्रकाशित नहीं किए जाऐंगें या किसी को उपलब्ध नहीं कराए जाऐंगें,

(ख) कोई व्यक्ति जो राज्य का मंत्री है या रहा है,

(ग) कोई व्यक्ति जो राज्य विधान सभा का सदस्य है या रहा है,

(घ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का धारा 2 के खंड (ग) के उपखण्ड (एक) और उपखण्ड (दो) में परिभाषित लोक सेवकों में से समूह 'क' या समूह 'ख' का कोई अधिकारी या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर अधिकारी, जब वह राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में सेवारत है या जिसने सेवा की है,

(ङ) धारा 20 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (ग) के उपखण्ड (एक) और उपखण्ड (दो) में परिभाषित लोक सेवकों में से समूह 'ग' या समूह 'घ' का कोई पदाधिकारी या उसके समतुल्य पदाधिकारी, जब वह राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में सेवारत है या जिसने सेवा की है,

(च) ऐसा कोई व्यक्ति जो विधानसभा के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित या उसके द्वारा नियन्त्रित किसी निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कम्पनी या सोसाइटी या न्यास या स्वायत्त निकाय (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) का अध्यक्ष या सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी है या रहा है।

(छ) कोई ऐसा व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित प्रत्येक अन्य सोसाइटी या व्यक्ति–संगम या न्यास (चाहे तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या नहीं) को चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिसकी वार्षिक आय ऐसी धनराशि से अधिक है, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, का निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी है या रहा है,

(ज) ऐसा कोई व्यक्ति, जो विदेशी अभिदाय (विनियिम), 2010 के अधीन किसी विदेशी स्रोत से एक वर्ष में दस लाख रू0 के आधिक्य में या ऐसी उच्चतर राशि जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट

करें का संदाय प्राप्त करने वाली प्रत्येक अन्य सोसाइटी या न्यास (चाहे तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या नहीं) का निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी है या रहा है।

स्पष्टीकरण–खण्ड (च) और खण्ड (छ) के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई ऐसी इकाई या संस्था चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, निगम, सोसाइटी या न्यास या व्यक्ति संगम, भागीदारी एकल स्वत्वधारिता, परिसीमित दायित्व वाली भागीदारी (चाहे तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या नहीं) उन खण्डों के अन्तर्गत आने वाली इकाइयां होगी;

परन्तु यह कि इस खण्ड में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खण्ड (ग) के अधीन लोक सेवक समझा जाएगा और उस अधिनियम के उपबंध तद्नुसार उस पर लागू होंगे।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, लोकायुक्त विधानसभा के किसी सदस्य के विरूद्ध उसके द्वारा विधानसभा में या संविधान के अनुच्छेद 194 के खंड (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अंतर्गत आने वाली उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में भ्रष्टाचार के किसी ऐसे अभिकथन में अंतर्वलित या उससे उद्भूत होने वाले या उससे संबद्ध किसी मामले की जांच नहीं करेगा।

(3) लोकायुक्त उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न किसी व्यक्ति के किसी कार्य या आचरण के बारे में जांच कर सकेगा, यदि ऐसा व्यक्ति भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के विरूद्ध भ्रष्टाचार के किसी अभिकथन से संबंधित दुष्प्रेरण करने, रिश्वत देने या रिश्वत लेने या षडयंत्र करने के कार्य में संलिप्त है।

(4) ऐसा कोई मामला, जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन लोकायुक्त को कोई शिकायत की गई है, 'जांच आयोग अधिनियम, 1952' के अधीन जांच के लिए निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण–शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन कोई शिकायत केवल ऐसी अवधि से संबद्ध होगी, जिसके दौरान लोक सेवक उस हैसियत में पद धारण कर रहा था या सेवारत रहा था।

लोकायुक्त से किसी न्यायालय या समिति प्राधिकारी के समक्ष जाँच के लिए लम्बित मामलों का प्रभावित न होना।

15 यदि 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988' के अधीन भ्रष्टाचार के अभिकथन से संबधित कोई मामला या कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात किसी जांच के प्रारंभ के पूर्व किसी न्यायालय या विधानसभा के किसी भी समिति के समक्ष या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित पड़ी हुई है, तो ऐसा मामला या कार्यवाही उस न्यायालय, समिति या प्राधिकारी के समक्ष यथावत बनी रहेगी।

लोकायुक्त की न्यायपीठों का गठन

16(1.) इस अधिनियम के उपबंधो के अधीन रहते हुए–

(क) लोकायुक्त की अधिकारिता का प्रयोग उसकी न्यायपीठों द्वारा किया जा सकेगा।

(ख) कोई न्यायपीठ अध्यक्ष द्वारा दो या अधिक सदस्यों के साथ, जो अध्यक्ष ठीक समझे गठित की जा सकेगी।

(ग) प्रत्येक न्यायपीठ में साधारणतया न्यूनतम एक न्यायिक सदस्य होगा।

(घ) जहां कोई न्यायपीठ अध्यक्ष से मिलकर बनती है, वहां उस न्यायपीठ की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

(ङ) जहां कोई न्यायपीठ न्यायिक सदस्य और ऐसे गैर–न्यायिक सदस्य से मिलकर बनती है जो अध्यक्ष नहीं है, वहां उस न्यायपीठ की अध्यक्षता न्यायिक सदस्य द्वारा की जाएगी।

(च) लोकायुक्त की न्यायपीठें साधारणतया देहरादून में अधिविष्ट होगी।

(2) किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष को समय–समय पर न्यायपीठों का गठन या पुनर्गठन करने की शक्ति होगी।

(3) यदि किसी मामले या विषय की सुनवाई के किसी प्रकम पर अध्यक्ष या किसी सदस्य को यह प्रतीत होता है कि वह मामला या विषय ऐसी प्रकृति

का है कि उसकी सुनवाई तीन या अधिक सदस्यों से मिलकर बनी न्यायपीठ द्वारा की जानी चाहिए तो उस मामले या विषय को अध्यक्ष द्वारा, यथास्थिति, अंतरित किया जा सकेगा या अंतरण के लिए उसे ऐसी न्यायपीठ को अंतरित किए जाने के लिए निर्दिष्ट किया जा सकेगा, जिसे अध्यक्ष ठीक समझे।

न्यायपीठों के बीच कार्य का वितरण

17. जहां न्यायपीठों गठित की जाती है, वहां अध्यक्ष समय–समय पर अधिसूचना द्वारा, लोकायुक्त के कार्यों का न्यायपीठों के बीच कार्य वितरण करने के बारे में उपबंध कर सकेगा और उन विषयों का भी उपबंध कर सकेगा, जिन पर प्रत्येक न्यायपीठ द्वारा कार्यवाई की जा सकेगी।

अध्यक्ष की मामले अन्तरित करने की शक्ति

18. अध्यक्ष, शिकायतकर्ता या लोक सेवक द्वारा अंतरण के लिए किए गए किसी आवेदन पर यथास्थिति, शिकायतकार्ता या लोक सेवक को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात, एक न्यायपीठ के समक्ष लंबित किसी मामले को निपटारे के लिए किसी अन्य न्यायपीठ को अंतरित कर सकेगा।

विनिश्चय का बहुमत द्वारा लिया जाना।

19. यदि समसंख्या में सदस्यों से मिलकर बनी किसी न्यायपीठ के सदस्यों के बीच किसी मामले पर मतभेद है, तो वे उस मामले या मामलों का, जिन पर उनमें मतभेद है कथन करेंगे और अध्यक्ष को निर्देश करेगें, जो या तो स्वंय उस मामले, या मामलों पर सुनवाई करेगा या लोकायुक्त के एक या अधिक अन्य सदस्यों द्वारा ऐसे मामले या मामलों पर सुनवाई के लिए मामले को निर्दिष्ट करेगा और उस मामले या मामलों का विनिश्चय लोकायुक्त के उन सदस्यों की बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा, जिन्होने मामले की सुनवाई की है, जिसके अंतर्गत वे सदस्य भी है जिन्होनें उसकी पहले सुनवाई की थी।

अध्याय 7

प्रारंभिक जांच और अन्वेषण के संबंध में प्रकिया

शिकायतों और प्रारम्भिक जाँच तथा अन्वेषण से सम्बन्धित उपबन्ध

20(1) लोकायुक्त कोई शिकायत प्राप्त करने पर सर्वप्रथम यह तय करेगा कि मामले में अग्रतर कार्यवाही की जाए अथवा इसे बंद किया जाए और यदि वह आगे कार्यवाही करने का विनिश्चय करता है तो; वह

(क) अपने जांच प्रकोष्ठ या किसी अभिकरण द्वारा यह अभिनिश्चित करने के संबंध में कि क्या मामले में कार्यवाही किए जाने के लिए कोई प्रथमदृष्टया मामला विद्यमान है, किसी लोक सेवक के विरूद्ध प्रारंभिक जांच करने का आदेश दे सकेगा; या

(ख) यदि लोकायुक्त ने प्रारंभिक जांच में अग्रत्तर कार्यवाही का विनिश्चय किया हो तो वह किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा समूह 'क' या समूह 'ख' या समूह 'ग' या समूह 'घ' के किन्हीं लोक सेवकों के संबंध में उसके द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों या शिकायतों के किसी वर्ग या किसी शिकायत को राज्य सतर्कता आयोग को निर्दिष्ट कर सकेगा।

राज्य सतर्कता आयोग उसे निर्दिष्ट की गई शिकायतों के संबंध में, समूह 'क' और 'ख' के लोक सेवकों की बाबत उपधारा (2) और उपधारा (4) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार प्रारम्भिक जांच करने के पश्चात् लोकायुक्त को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और समूह 'ग' और समूह 'घ' के लोक सेवकों के मामले में राज्य सतर्कता आयोग जांचकर यदि कार्यावाही प्रस्तावित हो तो सक्षम प्राधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सक्षम प्राधिकारी 6 माह के भीतर कार्यावाही कर अवगत कराएगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रारंभिक जांच के दौरान, जांच प्रकोष्ठ या कोई अभिकरण, शिकायत में किए गए अभिकथनों पर प्रारंभिक जांच करेगा और उसमें संगृहीत सामग्री, सूचना और दस्तावेजों के आधार पर लोक सेवक और सक्षम प्राधिकारी से टिप्पणियों की ईप्सा करेगा और संबंधित लोक

सेवक तथा सक्षम प्राधिकारी से टिप्पणी अभिप्राप्त करने के पश्चात, निर्देश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर लोकायुक्त को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(3) लोकायुक्त के दो से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक न्यायपीठ जांच प्रकोष्ठ या किसी अभिकरण से उपधारा (2) के अधीन प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट पर इस बात का विनिश्चय करने के लिए विचार करेगी कि क्या प्रथमदृष्टया कोई मामला बनता है और लोक सेवक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् निम्नलिखित कार्यवाहियों में से एक या अधिक के संबंध में निर्णय लेगी, अर्थात–

(क) यथास्थिति किसी अभिकरण द्वारा अन्वेषण।

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित लोक सेवकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाहियां या कोई अन्य समुचित कार्यवाही का आरंभ किया जाना।

(ग) लोक सेवक के विरूद्ध कार्यवाहियों को बंद किया जाना और धारा 46 के अधीन शिकायतकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक प्रारंभिक जांच साधारणतया शिकायत की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से 90 दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

(5) यदि लोकायुक्त शिकायत का अन्वेषण करने की कार्यवाही करने का विनिश्चय करता है तो वह किसी अभिकरण को यथासाध्य शीघ्र अन्वेषण करने का निदेश देगा और अपने आदेश की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर अन्वेषण पूरा करने का निदेश देगा।

परंतु यह कि लोकायुक्त लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उक्त अवधि को एक बार में, छह मास से अनधिक की और अवधि तक बढ़ा सकेगा।

(6) दंड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 173 में किसी बात के होते भी, कोई अभिकरण लोकायुक्त द्वारा उसे निर्दिष्ट किए गए मामलों के संबंध मे अन्वेषण रिपोर्ट लोकायुक्त को प्रेषित करेगा।

(7) लोकायुक्त के दो से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक न्यायपीठ उसके द्वारा उपधारा (6) के अधीन किसी अभिकरण से प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात–

(क) अपने अभियोजन प्रकोष्ठ या अन्वेषण अभिकरण को लोक सेवक के विरूद्ध विशेष न्यायालय के समक्ष आरोपपत्र फाइल किए जाने या मामला बंद किए जाने की रिपोर्ट फाइल करने का निदेश दे सकेगी।

(ख) सक्षम प्राधिकारी को संबंधित लोक सेवक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाहियां या कोई अन्य समुचित कार्यवाही प्रारंभ किए जाने का निदेश दे सकेगी।

(8) लोकायुक्त आरोप–पत्र फाइल किए जाने पर उपधारा (7) के अधीन कोई विनिश्चय करने के पश्चात, अपने अभियोजन प्रकोष्ठ या किसी अन्वेषण अभिकरण को अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए गए मामलों के संबंध में विशेष न्यायालय में अभियोजन आरंभ करने का निदेश दे सकेगा।

(9) लोकायुक्त यथास्थिति, प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के दौरान, यथास्थिति, प्रारंभिक जांच या अन्वेषण से सुसंगत दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा संबंधी ऐसे समुचित आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(10) लोकायुक्त की वेबसाइट पर समय–समय पर और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उसके समक्ष लंबित शिकायतों या उसके द्वारा निपटाई गई शिकायतों की प्रास्थिति जनता के लिए प्रदर्शित की जाएगी।

(11) लोकायुक्त ऐसे मूल अभिलेखों और साक्ष्यों को प्रतिधारित कर सकेगा, जिनकी उसके द्वारा या विशेष न्यायालय द्वारा मामले की प्रारंभिक जांच या अन्वेषण या संचालन की प्रकिया में आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

(12) इसमें यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन प्रारंभिक जांच या अन्वेषण करने (जिसके अंतर्गत लोक सेवक को उपलब्ध कराई जाने वाली ऐसी सामग्री और दस्तावेज भी है) की रीति और प्रकिया ऐसी होगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

प्रतिकूल रूप से प्रभावित की सम्भावना वाले व्यक्तियों का सुना जाना

21. यदि कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर लोकायुक्त–

(क) अभियुक्त से भिन्न किसी व्यक्ति के आचरण के बारे में जांच करना आवश्यक समझता है, या

(ख) की यह राय है कि अभियुक्त से भिन्न किसी व्यक्ति की ख्याति पर प्रारंभिक जांच से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है तो लोकायुक्त उस व्यक्ति को प्रारंभिक जांच में सुने जाने का और अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने का नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो से संगत युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

लोकायुक्त द्वारा किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से सूचना आदि प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना

22. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के प्रयोजन के लिए यथास्थिति लोकायुक्त या अन्वेषण अधिकरण, किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से जो उसकी राय में ऐसी प्रारंभिक जांच या अन्वेषण से सुसंगत सूचना देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने में सक्षम है, ऐसी कोई सूचना देने या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

अभियोजन प्रारम्भ करने के लिए मंजूरी देने की लोकायुक्त की शक्ति

23.(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 तथा 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988' की धारा 19 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी लोकायुक्त को धारा 20 की उपधारा (7) के खण्ड (क) के अधीन अभियोजन प्रारंभ करने की मंजूरी देने की शक्ति होगी।

(2) किसी ऐसे लोक सेवक जिस पर उसके द्वारा उसके शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्यवाही करते हुए या तात्पर्यित रूप से कार्यवाही करते हुए अभिकथित रूप से कोई अपराध करने का आरोप लगाया गया है, के विरूद्ध उपधारा (1) के अधीन कोई अभियोजन आरंभ नहीं किया जाएगा और कोई न्यायालय लोकायुक्त की पूर्व मंजूरी के सिवाय ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट कोई बात, ऐसे व्यक्तियों के संबंध में, जो संविधान के उपबंधों के अनुसरण में पद धारण कर रहे है और जिनके संबंध में ऐसे व्यक्ति को हटाने की प्रकिया उसमें विनिर्दिष्ट की गई है, लागू नहीं होगी।

(4) उपधारा (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) में अंतर्विष्ट उपबंध संविधान के अनुच्छेद 311 और अनुच्छेद 320 के खंड (3) के उपखंड (ग) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगें।

ऐसे लोक सेवक के विरुद्ध जो मुख्यमंत्री, मंत्री या विधान सभा सदस्य है, अन्वेषण पर कार्यवाही

24. जहां अन्वेषण पूरा हो जाने के पश्चात लोकायुक्त के निष्कर्षो से धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड(ग)में निर्दिष्ट किसी लोक सेवक द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन किसी अपराध के किए जाने का प्रकटन होता है, वहां लोकायुक्त विशेष न्यायालय में मामला फाईल कर सकेगा और अपने निष्कर्षो के साथ रिपोर्ट की एक प्रति सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा।

अध्याय 8

लोकायुक्त की शक्तियां

लोकायुक्त की अधीक्षण संबंधी शक्तियां

25.(1) लोकायुक्त को इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन लोकायुक्त द्वारा प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के लिए निर्दिष्ट किए गए मामलों के संबंध में अधीक्षण करने और निदेश देने की शक्तियां ऐसी होंगी, जैसी विहित की जाय;

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन अधीक्षण या निर्देश देने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकायुक्त शक्तियों का प्रयोग ऐसी रीति में नहीं करेगा जिससे किसी मामलें में किसी विशिष्ट रीति से अन्वेषण करने और उसे निपटाने की अपेक्षा की जा सके।

(2) राज्य सर्तकता आयोग को निर्दिष्ट की गई शिकायतों पर की गई कार्यवाही के संबंध में लोकायुक्त को ऐसे अन्तराल पर जो लोकायुक्त निदेश दे, विवरण भेजेगा और ऐसे विवरण को प्राप्त करने पर लोकायुक्त उन मामलों

के प्रभावी और शीघ्र निपटारे के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकेगा।

(3) लोकायुक्त द्वारा किसी मामले का अन्वेषण करने वाले उसके किसी अधिकारी को लोकायुक्त की अनुमति के बिना अन्तरित नहीं किया जाएगा।

(4) लोकायुक्त को लोकायुक्त द्वारा निर्दिष्ट मामलों का संचालन करने के लिए सरकारी अधिवक्ताओं से भिन्न अधिवक्ताओं के एक पैनल की नियुक्ति करने की शक्ति होगी।

(5) राज्य सरकार समय–समय पर लोकायुक्त द्वारा निर्दिष्ट मामलों का प्रभावी अन्वेषण करने के लिये अपेक्षित निधियां उपलब्ध करायेगी

तलाशी और अभिग्रहण

26.(1) यदि लोकायुक्त के पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा कोई दस्तावेज, जो उसकी राय में, इस अधिनियम के अधीन किसी प्रारम्भिक जांच के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत होगा, किसी स्थान में छिपाया गया है तो ऐसे किसी अभिकरण को जिसे अन्वेषण का कार्य सौंपा गया है, ऐसे दस्तावेजों की तलाशी लेने और उनका अभिग्रहण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) यदि लोकायुक्त का यह समाधान हो जाता है कि उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत किसी दस्तावेज को इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण के प्रयोजन के लिए साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और यह कि ऐसे दस्तावेज को उसकी अभिरक्षा में या ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में, जो प्राधिकृत किया जाए प्रतिधारित करना आवश्यक होगा तो वह ऐसा अन्वेषण पूरा हो जाने तक ऐसे दस्तावेज को उस प्रकार प्रतिधारित करेगा या ऐसे प्राधिकृत अधिकारी को, उन्हें प्रतिधारित करने का निदेश दे सकेगा।

परन्तु यह कि जहां किसी दस्तावेज को वापस करना अपेक्षित है, वहां लोकायुक्त या प्राधिकृत अधिकारी ऐसे दस्तावेज की सम्यक, रूप से अधिप्रमाणित प्रतियों को प्रतिधारित करने के पश्चात उसे वापस कर सकेगा।

कतिपय मामलों में लोकायुक्त को सिविल न्यायालय की शक्तियां होना

27.(1) इस धारा के उपबंधो के अधीन रहते हुए किसी प्रारंभिक जांच के प्रयोजन के लिए लोकायुक्त के जांच प्रकोष्ठ को, मामले का विचारण करते समय निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होगी अर्थातः–

(एक) किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना;

(दो) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(तीन) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(चार) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना;

(पांच) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

परंतु किसी साक्षी की दशा में ऐसा कमीशन केवल वहां निकाला जाएगा, जहां लोकायुक्त की राय में साक्षी लोकायुक्त के समक्ष कार्यवाहियों में हाजिर होने की स्थिति में नहीं है; और

(छः) अन्य ऐसे विषय, जो विहित किए जाए।

(2) लोकायुक्त के समक्ष कोई कार्यवाही, भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

राज्य सरकार के अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग करने की लोकायुक्त की शक्ति

28.(1) लोकायुक्त कोई प्रारंभिक जांच या अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के किसी अधिकारी या संगठन या अन्वेषण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा।

(2) ऐसी जांच या अन्वेषण से संबंधित किसी मामले में प्रारंभिक जांच या अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए, ऐसा कोई अधिकारी या संगठन या अभिकरण, जिसकी सेवाओं का उपयोग उपधारा (1) के अधीन किया जाता है लोकायुक्त के अधीक्षण और निदेशन के अधीन रहते हुए–

(क) किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा और उपस्थित करा सकेगा तथा

उसकी जांच कर सकेगा;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा, और

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यापेक्षा कर सकेगा;

(3) वह अधिकारी या संगठन या अभिकरण, जिसकी सेवाओं का उपयोग उपधारा (2) के अधीन किया जाता है, प्रारंभिक जांच या अन्वेषण से संबंधित किसी मामले की, यथास्थिति जांच या अन्वेषण करेगा और लोकायुक्त को, ऐसी अवधि के भीतर, जो इस निमित्त उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

आस्तियों की अनन्तिम कुर्की

29.(1) जहां लोकायुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास उसके कब्जे में की सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है, ऐसे विश्वास के कारण को लेखबद्ध किया जाएगा कि—

(क) किसी व्यक्ति के कब्जे में भ्रष्टाचार का कोई आगम है,

(ख) ऐसा व्यक्ति भ्रष्टाचार से संबंधित कोई अपराध कारित करने का अभियुक्त है, और

(ग) अपराध के ऐसे आगमों को छिपाने, अंतरित करने या ऐसी रीति से बरतने की संभावना है जिसके परिणामस्वरूप अपराध के ऐसे आगमों के अधिहरण से संबंधित कोई कार्यवाहियां विफल हो सकेगी,

वहां लोकायुक्त या प्राधिकृत अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा ऐसी संपत्ति को, ऐसे आदेश की तारीख से नब्बे दिन से अनधिक अवधि के लिए, आय–कर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची में उपबंधित रीति में, अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा और लोकायुक्त को उस अनुसूची के नियम 1 के उप नियम (ङ) के अधीन कोई अधिकारी समझा जाएगा।

(2) लोकायुक्त या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन कुर्की के तुरंत पश्चात आदेश की एक प्रति उस उपधारा में निर्दिष्ट उसके कब्जे में की सामग्री सहित एक सीलबंद लिफाफे में उस रीति में जो विहित की जाए विशेष न्यायालय को अग्रेषित करेगा और ऐसा न्यायालय कुर्की के आदेश को विस्तारित कर सकेगा और ऐसी सामग्री को ऐसी अवधि के लिए जो न्यायालय ठीक समझे रख सकेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया कुर्की का प्रत्येक आदेश, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् या उपधारा (2) के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा यथानिदेशित अवधि की समाप्ति के पश्चात प्रभावी नहीं रहेगा।

(4) इस धारा की कोई बात उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कुर्क की गई स्थावर संपति के उपभोग में हितबद्ध किसी व्यक्ति को ऐसे उपभोग से निवारित नहीं करेगी।

स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनार्थ किसी स्थावर संपति के संबंध में "हितबद्ध व्यक्ति" के अंतर्गत उस संपत्ति में किसी हित का दावा करने वाले या दावा करने के हकदार सभी व्यक्ति भी है।

आस्तियों की कुर्की की पुष्टि

30.(1) लोकायुक्त जब वह धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन किसी संपति को अनंतिम रूप से कुर्क करता है, ऐसी कुर्की की तीस दिन की अवधि के भीतर अभियोजन प्रकोष्ठ को विशेष न्यायालय के समक्ष ऐसी कुर्की के तथ्यों का कथन करते आवेदन फाइल करने तथा विशेष न्यायालय में लोक सेवक के विरूद्ध कार्यवाहियों के पूरा होने तक संपति की कुर्की की पुष्टि के लिए प्रार्थना करने का निदेश देगा।

(2) विशेष न्यायालय, यदि उसकी यह राय है कि अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्ति का अर्जन भ्रष्ट साधनों से किया गया है तो वह विशेष न्यायालय में लोक सेवक के विरूद्ध कार्यवाहियों के पूरा होने तक ऐसी संपति की कुर्की की पुष्टि के लिए आदेश कर सकेगा।

(3) यदि लोक सेवक को बाद में उसके विरूद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त कर दिया जाता है तो विशेष न्यायालय के आदेशों के अधीन रहते हुए संपति को ऐसे संपति से फायदों सहित जो कुर्की की अवधि के दौरान उपगत हुए हो, संबंधित लोक सेवक को प्रत्यावर्तित किया जाएगा।

(4) यदि लोक सेवक को बाद में भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अपराध से संबंधित आगमों को अधिहृत किया जाएगा और वे, किसी बैंक या वित्तीय संस्था को शोध्य किसी ऋण को छोड़कर राज्य सरकार में किसी विल्लंगम या पट्टाधृत हित से मुक्त रूप में निहित होगें।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "बैंक" "ऋण" और "वित्तीय संस्था" पदों के वही अर्थ होगें जो बैंको और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 2 के खंड (घ), खंड (छ) और खंड (ज) में कमशः उनके हैं।

विशेष परिस्थितियों में भ्रष्टाचार के साधनों द्वारा उद्भूत या उपाप्त आस्तियों, आगमों, प्राप्तियों और फायदों का अधिहरण

31(1) धारा 29 और धारा 30 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां विशेष न्यायालय के पास, प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है या उसका यह समाधान हो जाता है कि आस्तियां, आगम प्राप्तियां और फायदे चाहे जो भी नाम हो, लोक सेवक द्वारा भ्रष्टाचार के साधनों द्वारा उदभूत या उपाप्त की गई है, वहां वह उसके दोषमुक्त किए जाने तक ऐसी आस्तियों, आगमों, प्राप्तियों और फायदों के अधिहरण को प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किया गया अधिहरण का कोई आदेश उच्च न्यायालय द्वारा उपांतरित या बातिल कर दिया जाता है या जहां लोक सेवक को विशेष न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया जाता है वहां उपधारा (1) के अधीन अभिहृत आस्तियों, आगमों, प्राप्तियों और फायदों को ऐसे लोक सेवक को वापस कर दिया जाएगा और यदि किसी कारण से आस्तियों, आगमों, प्राप्तियों और फायदों को वापस किया जाना संभव

नहीं है तो ऐसे लोक सेवक को इस प्रकार अधिग्रहत किए गए धन सहित उसकी कीमत का, अधिहरण की तारीख से उस पर पांच प्रतिशत वार्षिक की दर से परिकलित ब्याज के साथ संदाय किया जाएगा।

भ्रष्टाचार के अभिकथन से सम्बद्ध लोक सेवक के स्थानान्तरण या निलम्बन की सिफारिश करने की लोकायुक्त की शक्ति

32.(1) जहां लोकायुक्त का भ्रष्टाचार के अभिकथनों की प्रारंभिक जांच करते समय, उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया यह समाधान हो जाता है कि—

(एक) प्रारंभिक जांच करते समय धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (घ) या खंड (ङ) या खंड (च) में निर्दिष्ट लोक सेवक के अपने पद पर बने रहने से ऐसी प्रारंभिक जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(दो) ऐसे लोक सेवक साक्ष्य को नष्ट या किसी रूप में उसके साथ छेड़छाड़ या साक्षियों को प्रभावित कर सकता है, वहां लोकायुक्त ऐसे लोक सेवक को, ऐसी अवधि तक, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, उसके द्वारा धारित पद से स्थानांतरित या निलंबित करने के लिए राज्य को सिफारिश कर सकेगा।

(2) राज्य सरकार सामान्यतया उपधारा (1) के अधीन की गई लोकायुक्त की सिफारिश को जहां प्रशासनिक कारणों से ऐसा करना साध्य नहीं है, वहां कारणों को लेखबद्ध करते हुए स्वीकार करेगी अन्यथा नहीं।

प्रारम्भिक जांच के दौरान अभिलेखों के नष्ट किये जाने को रोकने के लिए निदेश देने की लोकायुक्त की शक्ति

33. लोकायुक्त किसी ऐसे लोक सेवक को जिसे किसी दस्तावेज या अभिलेख को तैयार करने या उसकी अभिरक्षा रखने का कार्य सौंपा गया है, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में,

(क) ऐसे दस्तावेज या अभिलेख को नष्ट किए जाने या नुकसान पहुंचाने से उसकी संरक्षा करने; या

(ख) लोक सेवक को ऐसे दस्तावेज या अभिलेख में परिवर्तन करने या उसे छिपाने से रोकने, या

(ग) लोक सेवक को भ्रष्ट साधनों के माध्यम से उसके द्वारा अभिकथित रूप से अर्जित किन्हीं आस्तियों को अंतरित करने या उनका अन्य संक्रमण करने से रोकने, के लिए समुचित निदेश जारी कर सकेगा।

प्रत्यायोजन की शक्ति

34. लोकायुक्त लिखित में, साधारण या विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तो और निबन्धनों के अध्यधीन जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए यह निदेश दे सकेगा कि उसको प्रदत्त किसी प्रशासनिक या वित्तीय शक्ति का, उसके ऐसे सदस्यों या अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा भी, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्रयोग या निर्वहन किया जा सकेगा।

अध्याय 9
विशेष न्यायालय

राज्य सरकार द्वारा विशेष न्यायालयों को गठित किया जाना

35.(1) राज्य सरकार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या इस अधिनियम के अधीन उद्भूत मामलों की सुनवाई और उनका विनिश्चय करने के लिए उतने विशेष न्यायालयों का गठन करेगी, जितने लोकायुक्त द्वारा सिफारिश की जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित विशेष न्यायालय, न्यायालय में मामले के फाइल किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रत्येक विचारण का पूरा किया जाना सुनिश्चित करेगा।

परन्तु यह कि यदि विचारण एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता है तो विशेष न्यायालय उसके लिए कारण अभिलिखित करेगा और उन कारणों सें, जो अभिलिखित किए जाएं, तीन मास से अनधिक की और अवधि के भीतर या ऐसी और अवधियों के भीतर जो तीन मास से अधिक की नहीं होगी, ऐसी प्रत्येक तीन मास की अवधि की समाप्ति से पूर्व, किंतु दो वर्ष से अनधिक की कुल अवधि के भीतर विचारण को पूरा करेगा।

कतिपय मामलों में संविदाकारी राज्यों को अनुरोध पत्र

38.(1) इस अधिनियम या दंड प्रकिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध या अन्य कार्यवाही में किसी प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के प्रकम में इस निमित्त लोकायुक्त के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विशेष न्यायालय को यह आवेदन किया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध या कार्यवाही में प्रारंभिक जांच या अन्वेषण करने के संबंध में कोई साक्ष्य अपेक्षित है और उसकी यह राय है कि ऐसा साक्ष्य संविदाकारी राज्य में किसी स्थान पर उपलब्ध हो सकेगा और विशेष न्यायालय, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा साक्ष्य इस अधिनयम के अधीन किसी अपराध या कार्यवाही में प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के संबंध में अपेक्षित है, तो वह एक अनुरोध–पत्र ऐसे अनुरोध पर कार्यवाही करने के लिए सक्षम संविदाकारी राज्य में किसी न्यायालय या प्राधिकारी को जारी कर सकेगा कि वह––

(एक) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की परीक्षा करें,

(दो) ऐसे उपाय करें, जो विशेष न्यायालय ऐसे अनुरोध–पत्र में विनिर्दिष्ट करें, और

(तीन) ऐसे लिखे गए या संगृहीत किए गए सभी साक्ष्यों को ऐसा अनुरोध–पत्र जारी करने वाले विशेष न्यायालय को अग्रेषित करें।

(2) अनुरोध पत्र ऐसी रीति में पारेषित किया जाएगा, जो राज्य सरकार इस निमित विहित करें।

(3) उपधारा (1) के अधीन अभिलिखित प्रत्येक कथन या प्राप्त दस्तावेज या चीज प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के दौरान संगृहीत साक्ष्य समझा जाएगा।

अध्याय 10

लोकायुक्त के अध्यक्ष, सदस्यों और पदाधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्यों का हटाया जाना और उनका निलम्बन

37.(1) लोकायुक्त, अध्यक्ष या किसी सदस्य के विरुद्ध की गई किसी शिकायत की जांच नहीं करेगा।

(2) उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष या किसी सदस्य को,

राज्यपाल द्वारा अथवा विधानसभा के न्यूनतम बारह सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पर राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय को किए गए निर्देश पर उस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई किसी जांच पर, उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी रिपोर्ट दिए जाने के पश्चात कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को कदाचार के आधार पर हटा दिया जाना चाहिए, राज्यपाल के आदेश द्वारा, उस आधार पर उसके पद से हटाया जाएगा।

(3) राज्यपाल, अध्यक्ष या ऐसे किसी सदस्य को, जिसके संबंध में उपधारा (2) के अधीन उच्च न्यायालय को कोई निर्देश किया गया है, उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में की गई सिफारिश या अंतरिम आदेश की प्राप्ति पर उच्च न्यायालय की ऐसे निर्देश पर अंतिम रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्यपाल द्वारा आदेश पारित किए जाने तक पद से निलंबित कर सकेगा।

(4) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्पाल आदेश द्वारा, अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को पद से हटा सकेगा, यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसा सदस्य,–

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है,

या

(ख) अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगता है,

या

(ग) राज्यपाल की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है।

या

(घ) वह पक्षपाती हो गया है या भ्रष्टाचार में संलिप्त है।

(5) यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्य सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या किए गए किसी करार में किसी रूप में संबद्ध या हितबद्ध है या हो जाता है या वह किसी रूप में

उसके लाभ में या किसी सदस्य से भिन्न रूप में और किसी निगमित कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सामान्य रूप में उससे उद्भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धि में भागीदार बनता है, तो उसे उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा।

लोकायुक्त के पदाधिकारियों के विरूद्ध शिकायतें

38.(1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए लोकायुक्त के अधीन या उससे संबद्ध किसी अधिकारी या कर्मचारी या किसी अभिकरण के विरूद्ध किए गए अभिकथन या दोषपूर्ण कार्य के संबंध में की गई प्रत्येक शिकायत पर इस धारा के उपबंधों के अनुसार कार्रवाही की जाएगी।

(2) लोकायुक्त, उस शिकायत या अभिकथन की जांच, उसकी प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर पूरी करेगा।

(3) लोकायुक्त अथवा लोकायुक्त में नियोजित या उससे संबद्ध किसी अनिकरण के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध शिकायत की जांच करते समय यदि उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उसका प्रथमदृष्ट्या यह समाधान हो जाता है कि–

(क) जांच करते समय लोकायुक्त या उसमें नियोजित या उससे संबद्ध अभिकरण के ऐसे अधिकारी या कर्मचारी के अपने पद पर बने रहने से ऐसी जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, या

(ख) लोकायुक्त या उसमें नियोजित या संबद्ध अभिकरण का कोई अधिकारी या कर्मचारी साक्ष्य को नष्ट कर सकता है या किसी रूप में उसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है या साक्षियों को प्रभावित कर सकता है,

तो, लोकायुक्त आदेश द्वारा, लोकायुक्त के ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को निलंबित कर सकेगा या लोकायुक्त में नियोजित या उससे संबद्ध ऐसे अभिकरण को, उसके द्वारा इससे पूर्व प्रयोग की गई सभी शक्तियों और उत्तरदायित्वों से निर्निहित कर सकेगा।

(4) जांच पूरी हो जाने पर, यदि लोकायुक्त का यह समाधान हो जाता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन किसी अपराध या किसी दोषपूर्ण कार्य के किए जाने का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य है, तो वह ऐसी जांच के पूरा होने के 15 दिन की अवधि के भीतर लोकायुक्त के ऐसे अधिकारी या कर्मचारी या लोकायुक्त में नियोजित या उससे संबद्ध ऐसे अधिकारी, कर्मचारी, अभिकरण को अभियोजित करने का आदेश करेगा और संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां आरंभ करेगा;

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश लोकायुक्त के ऐसे अधिकारी या कर्मचारी या उसमें नियोजित या उससे संबद्ध ऐसे अधिकारी, कर्मचारी, अभिकरण को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

अध्याय 11

विशेष न्यायालय द्वारा हानि का निर्धारण और उसकी वसूली

विशेष न्यायालय द्वारा हानि का निर्धारण और उसकी वसूली

39. यदि कोई लोक सेवक विशेष न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, तो तत्समय प्रवृत किसी विधि के होते हुए भी और उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह ऐसे लोक सेवक द्वारा सद्भावपूर्वक न किए गए कार्यों या विनिश्चयों के कारण और जिनके लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया है, राजकोष को हुई हानि, यदि कोई हो, का निर्धारण कर सकेगा और इस प्रकार सिद्धदोष ठहराए गए लोक सेवक से, ऐसी हानि की, यदि संभव या परिमाणीय मात्रा में हो, वसूली का आदेश कर सकेगा;

परंतु यह कि यदि विशेष न्यायालय, उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कारित हानि इस प्रकार सिद्धदोष ठहराए गए लोक सेवक के कार्यों या विनिश्चयों के फायदाग्राही या फायदाग्राहियों के साथ षड़यंत्र के अनुसरण में हुई थी, तो ऐसी हानि,

यदि वह इस धारा के अधीन निर्धारित की गई है और परिमाणीय मात्रा में है, आनुपातिक रूप से ऐसे फायदाग्राही या फायदाग्राहियों से भी वसूल की जा सकेगी।

अध्याय 12

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

बजट

40. लोकायुक्त, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जो विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए, लोकायुक्त की प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय को दर्शाते हुए अपना बजट तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को सूचनार्थ अग्रेषित करेगा।

राज्य सरकार द्वारा अनुदान

41. राज्य सरकार निमित्त विधि द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात लोकायुक्त को ऐसी धनराशि अवमुक्त कर सकेगी, जो अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्तों के लिए और प्रशासनिक खर्चों के लिए, जिनके अंतर्गत लोकायुक्त के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को या उनके संबंध में संदेय वेतन और भत्ते तथा पेंशन भी है, संदत्त की जानी अपेक्षित है।

वार्षिक लेखा विवरण

42.(1) लोकायुक्त उचित लेखाओं और अन्य सुसंगत अभिलेखों को बनाये रखेगा और ऐसे प्ररूप में, जो राज्य सरकार द्वारा महालेखाकार के परामर्श से विहित किया जाए, लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा।

(2) लोकायुक्त के लेखाओं की संपरीक्षा महालेखाकार द्वारा एसे अंतरालों पर की जाएगी, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(3) महालेखाकार को या इस अधिनियम के अधीन लोकायुक्त के लेखाओं की संपरीक्षा करने के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे, जो सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में साधारणतया महालेखाकार को प्राप्त हैं और विशिष्टतया बहियों, लेखाओं, संबंधित

वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागजपत्रों को प्रस्तुत करने की मांग करने और लोकायुक्त के कार्यालयों में से किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त होगा।

(4) महालेखाकार या उसके द्वारा निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित लोकायुक्त के लेखाओं को, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, प्रति वर्ष राज्य सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और राज्य सरकार उसे विधानसभा के समक्ष रखवाएगी।

राज्य सरकार को विवरणियां आदि प्रस्तुत करना

43. लोकायुक्त राज्य सरकार को ऐसी विवरणियां और विवरण और लोकायुक्त की अधिकारिता के अधीन किसी विषय के संबंध में ऐसी विशिष्टियां, जिनकी राज्य सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे, ऐसे समय पर और ऐसे प्रारूप तथा रीति में, जो विहित की जाए या जैसे राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किया जाए, प्रस्तुत करेगा।

अध्याय 13
आस्तियों की घोषणा

आस्तियों की घोषणा

44.(1) प्रत्येक लोक सेवक द्वारा इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन यथा उपबंधित रीति में अपनी आस्तियों और दायित्वों की घोषणा करेगा।

(2) प्रत्येक लोक सेवक उस तारीख से, जिसको वह अपना पदग्रहण करने के लिए शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है, तीस दिन की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को–

(क) उन आस्तियों के संबंध में, जिनका वह, उसका पति या पत्नी और उसके आश्रित बालक, संयुक्ततः या पृथकतः स्वामी या फायदाग्राही है,

(ख) अपने और अपने पति या पत्नी और अपने आश्रित बालकों के दायित्वों के सम्बन्ध में सूचना देगा।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ के समय, उस रूप में अपना पद धारण करने वाला कोई लोक सेवक इस अधिनियम के प्रवर्तन में आने के तीस दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी को उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट ऐसी आस्तियों और दायित्वों से संबंधित सूचना देगा।

(4) प्रत्येक लोक सेवक प्रत्येक वर्ष की 31 जुलाई को या उससे पूर्व उस वर्ष की 31 मार्च तक, उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट ऐसी आस्तियों और दायित्वों की वार्षिक विवरणी सक्षम प्राधिकारी के पास फाइल करेगा।

(5) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन सूचना और उपधारा (4) के अधीन वार्षिक विवरणी सक्षम प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में प्रस्तुत की जाएगी जो विहित की जाए।

(6) सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक कार्यालय या विभाग के संबंध में यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी विवरण उस वर्ष की 31 अगस्त तक ऐसे कार्यालय या विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिए गए हैं।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए "आश्रित बालक" से ऐसे पुत्र और पुत्रियां अभिप्रेत हैं जिनके पास उपार्जन के कोई पृथक साधन नहीं हैं और अपनी आजीविका के लिए पूर्णतः लोक सेवक पर आश्रित हैं।

कतिपय मामलों में भ्रष्ट साधनों द्वारा आस्तियों के अर्जन के बारे में उपधारणा

45. यदि कोई लोक सेवक जानबूझकर या ऐसे कारणों से जो न्यायोचित नहीं हैं,

(क) अपनी आस्तियों की घोषणा करने में असफल रहता है, या

(ख) ऐसी आस्तियों की बावत भ्रामक जानकारी देता है और उसके कब्जे में ऐसी आस्तियां पाई जाती है जिनका प्रकटन नहीं किया गया है या जिनकी बावत भ्रामक जानकारी दी गई थी,तो ऐसी आस्तियों के बारे में, जब तक अन्यथा साबित न हो जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि वे लोक सेवक की हैं और उन आस्तियों के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि वह भ्रष्ट साधनों द्वारा अर्जित की गई हैं:

परंतु यह कि सक्षम प्राधिकारी लोक सेवक को ऐसे न्यूनतम मूल्य, जो विहित किया जाए, से अनधिक की आस्तियों की बाबत सूचना देने से माफी दे सकेगा या छूट प्रदान कर सकेगा।

अध्याय 14

अपराध और शक्तियां

मिथ्या शिकायत के लिए अभियोजन और लोक सेवक को प्रतिकर आदि का संदाय

46.(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जो कोई इस अधिनियम के अधीन कोई मिथ्या और क्षुद्र या तंग करने वाली शिकायत करता है, वह दोषसिद्धि पर ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रूपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।

(2) किसी विशेष न्यायालय के सिवाय, कोई भी न्यायालय उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(3) कोई भी विशेष न्यायालय, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसके विरुद्ध मिथ्या, क्षुद्र या तंग करने वाली शिकायत की गई थी, या लोकायुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा शिकायत किए जाने पर ही उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का संज्ञान लेगा अन्यथा नहीं।

(4) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के संबंध में अभियोजन लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा और ऐसे अभियोजन से संबंधित सभी व्ययों को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(5) ऐसे किसी व्यक्ति (कोई व्यष्टि या सोसाइटी या व्यक्ति–संगम या न्यास है (चाहे वह रजिस्ट्रीकृत है अथवा नहीं))] की, इस अधिनियम के अधीन कोई मिथ्या शिकायत करने के लिए, दोषसिद्धि की दशा में, ऐसा व्यक्ति ऐसे लोक सेवक को, जिसके विरूद्ध उसने मिथ्या शिकायत की थी, ऐसे लोक सेवक द्वारा मुकदमा लड़ने संबंधी विधिक व्ययों के अतिरिक्त, जो विशेष न्यायालय अवधारित करे, प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी होगा।

(6) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात सद्भावपूर्वक की गई शिकायतों की दशा में लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजन के लिए,"सद्भावपूर्वक" पद से किसी व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा कोई कार्य अभिप्रेत है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 52 के अधीन उसके द्वारा सम्यक, सतर्कता, सावधानी और उत्तरदायित्व की भावना के साथ सद्भावपूर्वक किया गया है या ऐसा विश्वास है कि वह उसके द्वारा किया गया है अथवा तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुगत होने का विश्वास करते हुए किया गया है।

सोसाइटी या व्यक्ति–संगम या न्यास द्वारा किया शिकायत किया जाना

47.(1) जहां धारा 46 की उपधारा (1) के अधीन कोई अपराध किसी सोसाइटी या व्यक्ति–संगम या न्यास(चाहे वह रजिस्ट्रीकृत है अथवा नहीं) द्वारा किया गया है, वहां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो अपराध के कारित किए जाने के समय ऐसी सोसाइटी या व्यक्ति–संगम या न्यास का प्रत्यक्ष रूप से भारसाधक था और ऐसी सोसाइटी या व्यक्ति–संगम या न्यास के कारोबार या कार्यों या कियाकलापों के संचालन के लिए उत्तरदायी था और साथ ही ऐसी सोसाइटी या व्यक्ति –संगम या न्यास को भी अपराध का दोषी समझा जाएगा और वह तदनुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के लिए दायी होगा:

परंतु यह कि इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात, ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड के लिए उस दशा में दायी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि वह अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और यह कि उसने ऐसे अपराध के कारित किए जाने के निवारण के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी सोसाइटी या व्यक्ति–संगम या न्यास (चाहे वह रजिस्ट्रीकृत है अथवा नहीं) द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध ऐसी सोसाइटी या व्यक्ति–संगम या न्यास के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या वह उसकी ओर से किसी उपेक्षा के

कारण कारित हुआ है तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और वह तद्नुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के लिए दायी होगा।

अध्याय 15
प्रकीर्ण

लोकायुक्त की रिपोर्ट

48. लोकायुक्त का यह कर्तव्य होगा कि वह लोकायुक्त द्वारा किए गए कार्य के बारे में एक रिपोर्ट प्रति वर्ष राज्यपाल को प्रस्तुत करे और ऐसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर राज्यपाल उसकी एक प्रति, उन मामलों के संबंध में, यदि कोई हों, जहां लोकायुक्त की सलाह को स्वीकार नहीं किया गया था, वहां ऐसी अस्वीकृति के कारणों सहित एक स्पष्टीकारक ज्ञापन के साथ राज्य विधान सभा के समक्ष रखावाएगा।

लोकायुक्त का तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि से उद्भूत होने वाली अपीलों के संबंध में अंतिम अपील प्राधिकारी के रूप में कार्य करना

49. लोकायुक्त ऐसे मामलों में, जहां विनिश्चय में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन भ्रष्टाचार के निष्कर्ष अंतर्विष्ट हैं, किसी लोक प्राधिकारी द्वारा लोक सेवाओं के परिदान और लोक शिकायतों के निवारण का उपबंध करने संबंधी तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि से उद्भूत होने वाली अपीलों के संबंध में अंतिम अपील प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

किसी लोक सेवक द्वारा सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण

50. इस अधिनियम के अधीन किसी लोक सेवक के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां ऐसी किसी बात के संबंध में नहीं होगी, जो सद्भावपूर्वक की गई हैं या उसके शासकीय कृत्यों के निर्वहन में या उसकी शक्तियों के प्रयोग में की जानी आशयित हैं।

अन्य व्यक्तियों द्वारा सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण

51. लोकायुक्त के विरूद्ध या किसी अधिकारी, कर्मचारी, अभिकरण या किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां ऐसी किसी बात के संबंध में नहीं होंगी, जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी हैं या किये जाने के लिए आशयित है।

लोकायुक्त के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोकसेवक होना

52. लोकायुक्त के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को, जब वे इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में कार्यवाही कर रहें हों या कार्यवाही करने के लिए तात्पर्यित हों, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

कतिपय मामलों में परिसीमा का लागू होना

53. लोकायुक्त ऐसी किसी शिकायत की जांच या अन्वेषण नहीं करेगा, यदि वह शिकायत, उस तारीख से, जिसको उस शिकायत में उल्लिखित अपराध के किए जाने का अभिकथन किया गया है, सात वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् की जाती है।

अधिकारिता का वर्जन

54. किसी भी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी मामले के संबंध में अधिकारिता नहीं होगी, जिसका अवधारण करने के लिए लोकायुक्त इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त है।

विधिक सहायता

55. लोकायुक्त ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिसके विरूद्ध उसके समक्ष इस अधिनियम के अधीन कोई शिकायत फाइल की गई है, लोकायुक्त के समक्ष अपने मामले की प्रतिरक्षा करने के लिए विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा, यदि ऐसी सहायता के लिए अनुरोध किया जाता है।

अधिनियम का अभ्यारोही प्रभाव होना

56. इस अधिनियम के उपबंध, इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति या इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति के कारण प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगें।

इस अधिनियम के उपबंधों का अन्य विधियों के अतिरिक्त होना

57. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगें न कि उसके अल्पीकरण में ।

नियम बनाने की शक्ति

58.(1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को कियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले

बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्ही विषयों के लिये उपबन्ध किया जा सकेगा अर्थात

(क) धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट शिकायत का प्ररूप, एवं खोजबीन समिति की कार्यविधि, उसके सदस्यों को सदेय फीस और भत्ते तथा नामों के पैनल के चयन की रीति,

(ख) ऐसा पद या ऐसे पद जिनके सम्बन्ध में धारा 10 की उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात नियुक्ति की जायेगी,

(ग) ऐसे अन्य विषय, जिनके लिये लोकायुक्त को धारा 27 की उपधारा (1) के खण्ड (छः) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियां होगी,

(घ) धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन विशेष न्यायालय को सामग्री के साथ कुर्की का आदेश भेजने की रीति,

(ङ) धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन अनुरोधपत्र संप्रेषित करने की रीति,

(च) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आगामी वित्तीय वर्ष के लिये बजट जिसमें धारा 40 के अधीन लोकायुक्त की प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित किये जायेगें, तैयार करने का प्ररूप एवं समय,

(छ) धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखने के लिये प्रारूप और वार्षिक लेखा विवरणों का प्ररूप,

(ज) धारा 43 के अधीन विशिष्टियों सहित विवरणियां और विवरण तैयार करने का प्रारूप और रीति तथा समय,

(झ) धारा 44 की उपधारा (5) के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा फाईल की जाने वाली वार्षिक विवरणी का प्ररूप,

(ञ) ऐसा न्यूनतम मूल्य, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी किसी लोक सेवक को धारा 45 के परन्तुक के अधीन आस्तियों के सम्बन्ध में सूचना प्रस्तुत करने से माफी दे सकेगा या छूट प्रदान कर सकेगा,

(ट) धारा 48 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसके कियाकलापों का संक्षिप्त विवरण हो, तैयार करने का प्ररूप और समय,

(ठ) ऐसा कोई अन्य विषय,जिसे विहित किया जाना है या जो विहित किया जाये

लोकायुक्त की विनियम बनाने की शक्ति

59.(1) लोकायुक्त, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धो को कियान्वित करने के लिए विनियम बना सकेगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापक्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्ही विषयों के लिये उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थातः–

(क) लोकायुक्त के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारीवृन्द की सेवा शर्तें और ऐसे विषय, जिनके लिए, जहाँ तक उनका सम्बन्ध वेतन, भत्तों, छुट्टी या पेंशन से है, धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन राज्यपाल का अनुमोदन अपेक्षित है,

(ख) धारा 16 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन लोकायुक्त की न्यायपीठों के अधिविष्ट होने का स्थान,

(ग) लोकायुक्त की वेबसाईट पर धारा 20 की उपधारा (9) के अधीन लम्बित या निपटाई गयी सभी शिकायतों की प्रास्थिति, उनके प्रतिनिर्देश से अभिलेखों और साक्ष्य सहित प्रदर्शित करने की रीति,

(घ) धारा 20 की उपधारा (12) के अधीन कोई प्रारम्भिक जॉच या अन्वेषण करने की रीति और प्रकिया,

(ङ) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित या विनिर्दिष्ट किया जाय।

नियमों और विनियमों का रखा जाना

60. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम, उसके बनाए जाने के पश्चात्,यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, रखा जायेगा, विधानसभा उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिये सहमत हो जायें या इस बात पर सहमत हो जायें कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह नियम या विनियम, यथा स्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या वह निष्प्रभाव हो जायेगा, किन्तु नियम या विनियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

61.(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो,

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा।

अध्याय 16
निरसन एवं व्यावृत्ति

निरसन एवं व्यावृत्ति

62.(1) उत्तराखण्ड लोकायुक्त अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2013) एततद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) उत्तराखण्ड विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 एततद्वारा निरसित किया जाता है।

(3) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

आज्ञा से,

के0 डी0 भट्ट,
प्रमुख सचिव।